उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 | अंक 17 | 1-15 सितंबर 2022 | ₹ 20/-

उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वेक्षण पर मुस्लिम संगठनों में मतभेद

- हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून पारित
- काबुल स्थित रूसी दूतावास के समीप धमाका
- यमन में हूती विद्रोहियों और अलकायदा के बीच युद्ध
- तेलंगाना में मस्जिद ध्वस्त

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष: 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वेक्षण पर मुस्लिम संगठनों में मतभेद 04
ज्ञानवापी विवाद में नया मोड़ 07
हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून पारित 10
कुख्यात आतंकी को महिमामंडित करने की जांच का निर्देश 11
बदायूं की जामा मस्जिद के शिव मंदिर होने का दावा 13

विश्व

काबुल स्थित रूसी दूतावास के समीप धमाका 15
अमेरिका ताइवान को बेचेगा आधुनिक अस्त्र-शस्त्र 16
अलकायदा के नए प्रमुख पर मुल्ला याकूब और हक्कानी ग्रुप में मतभेद 16
आंग सान सू की को चुनाव में धांधली के आरोप में तीन वर्ष की कैद 17
तालिबान कमांडर के खिलाफ शिकायत करने वाली महिला गिरफ्तार 18

पश्चिम एशिया

यमन में हूती विद्रोहियों और अलकायदा के बीच युद्ध 19
अल्बानिया से ईरानी राजदूत निष्कासित 20
ईरान में दो समलैंगिक महिलाओं को फांसी 20
ईरानी राष्ट्रपति के अमेरिका प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग 21
ईरानी हैकरों की गिरफ्तारी के लिए एक करोड़ डॉलर ईनाम की घोषणा 22

अन्य

हाजी अली दरगाह में तिरंगा लहराने की योजना 23
उर्दू में साइनबोर्ड लिखने का आदेश देने वाली अधिकारी निलंबित 23
तुर्की में सीरियाई शरणार्थियों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि 24
तेलंगाना में मस्जिद ध्वस्त 24
यूरोप में मुस्लिम विरोधी घटनाओं में वृद्धि 24

सारांश

उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त इस्लामिक मदरसों का सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। इसकी आड़ लेकर कट्टरपंथी तत्वों ने मुसलमानों को भाजपा और योगी सरकार के खिलाफ भड़काने का जो अभियान शुरू किया था उसे हाल ही में गहरा धक्का लगा है। सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलेमा ने हवा के रूख को भांपते हुए अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है। प्रारंभ में जमीयत उलेमा के नेताओं ने अन्य कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का समर्थन करते हुए मदरसों के सर्वेक्षण को 'मुस्लिम विरोधी अभियान' बताया था। मगर हाल ही में जमीयत के नेताओं ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है और सरकार को इस संदर्भ में पूर्ण सहयोग देने की घोषणा की है। जबकि इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शिया काउंसिल, बरेलवी संप्रदाय और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आदि कट्टर इस्लामिक संगठन इस अभियान की आड़ लेकर राज्य के मुसलमानों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा है कि यह सर्वेक्षण किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारा यह प्रयास है कि मदरसों की शिक्षा क स्तर में सुधार हो और राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण की जो योजनाएं शुरू की गई हैं, उसका आम मुसलमान पूरा लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि समाजवादो पार्टी के शासनकाल में कई लोगों ने फर्जी मदरसे बनाकर करोड़ों रुपये सरकारी कोष के हड़पे थे। हम एसे फर्जी संस्थानों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि सरकारी संसाधनों का लाभ आम मुसलमान उठा सकें।

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति देने के प्रश्न पर गत कुछ महीनों से जो मामला अदालत में विचाराधीन है, उसने हाल ही में एक नया मोड़ लिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इस मामले को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश की अदालत ने जिला न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरण कर दिया था। अब जिला न्यायाधीश ने प्रतिवादी ज्ञानवापी मस्जिद इंतेजामिया कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि इस मामले की सुनवाई में 1991 में संसद द्वारा पारित पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) कानून बाधक नहीं है। इसलिए शृंगार गौरी में पूजा से संबंधित याचिका पर अदालत सुनवाई कर सकती है। मस्जिद इत्तेजामिया कमेटी ने जिला न्यायाधीश के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है। जिला न्यायाधीश के इस फैसले का मुस्लिम संगठनों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। उनका आरोप है कि राजनीतिक कारणों से मंदिर मस्जिद विवाद को पुनः उभारा जा रहा है। हालांकि बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद में सर्वोच्च न्यायालय यह निर्देश दे चुकी है कि भविष्य में अब मंदिर-मस्जिद के विवाद को अदालतों में नहीं उछाला जाना चाहिए।

अफगानिस्तान में हालात दिन-प्रतिदिन गंभीर रूप ले रहे हैं। सुन्नी मुसलमानों से संबंधित आतंकी संगठन अलकायदा और आईएसआईएस शिया मुसलमानों के खून की होली खेल रहे हैं। तालिबान सरकार अभी तक शांति स्थापित करने में विफल रही है। हाल ही में आईएसआईएस से जुड़े एक आत्मघाती हमलावर ने काबुल स्थित रूसी दूतावास में घुसने का प्रयास किया। दूतावास में उसके प्रवेश से पहले ही सुरक्षा सैनिकों ने उसे गोली से उड़ा दिया, मगर उसके शरीर में बंधे विस्फोट पदार्थ में धमाका होने के कारण कम-से-कम 20 लोग मारे गए, जिनमें रूसी दूतावास के कुछ अधिकारी भी शामिल थे। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस चुन-चुनकर अफगानिस्तान में तालिबान के नेताओं को अपना निशाना बना रहा है। गत एक महीने में कम-से-कम चार प्रमुख तालिबान मौलवियों की मस्जिदों में घुसकर हत्याएं की जा चुकी हैं।

उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वेक्षण पर मुस्लिम संगठनों में मतभेद

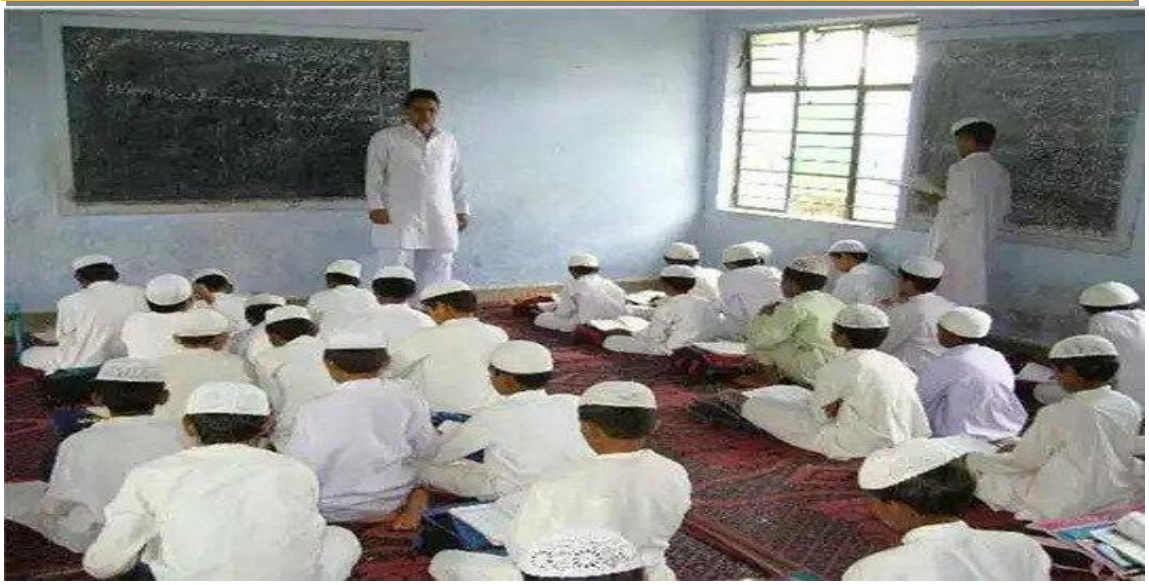

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करवाने का फैसला किया है। प्रारंभ में सभी मुस्लिम संगठन एकजुट होकर इसके खिलाफ मैदान में उतर आए थे, मगर अब विरोध के प्रश्न पर मतभेद उभरकर सामने आए हैं। उदाहरण के रूप में जमीयत उलेमा ने इसके खिलाफ आंदोलन करने की घोषणा की थी, मगर अब 18 सितंबर को दारूल उलूम में हुए एक सम्मेलन में जमीयत उलेमा ने अपना रूख बदल लिया है और सरकार को सहयोग देने की घोषणा की है।

इंकलाब (1 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश मदरसा तालिमी बोर्ड ने पंजीकृत मदरसों को छोड़कर राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने का आदेश दिया है। राज्य में मदरसों की संख्या कितनी है इसके बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, मगर फिर भी उनकी संख्या 40 से 45 हजार के बोच बताई जाती है। जबकि मान्यता पाप्त मदरसों की संख्या 16513 हैं। जो गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे राज्य में काम कर रहे हैं, उनका संबंध विभिन्न इस्लामिक संस्थानों और एनजीओ से बताया जा रहा है। सर्वे कमेटियां एडीएम की निगरानी में काम करेंगी और इसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी और संबंधित क्षेत्र के एसडीएम भी शामिल होंगे। 10 अक्टूबर तक सर्वे को पूरा करके 25 अक्टूबर तक सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने का आदेश जिलाधिकारियों द्वारा दिया गया है। आदेश के अनुसार सर्वे का प्रारूप भी संलग्न किया गया है, जिसके अनुसार 12 सूत्री मुद्दों पर जानकारी इकट्ठी की जाएगी। इस प्रश्नावली में यह पूछा गया है कि मदरसे किस संगठन से संबंधित हैं? उनमें कितने बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? अध्यापकों की संख्या कितनी है? उनका पाठ्यक्रम क्या है? और उनके आय के साधन क्या हैं?

मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। न ही हमारा इरादा इन मदरसों को बंद करने का है। हम उनकी शिक्षा के

स्तर में सुधार करना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार सरकार ने यह भी तय किया है कि प्रबंध समितियों की सहमति से मदरसों के अध्यापकों और कर्मचारियों को अन्य मदरसों में तब्दील किए जाने की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने की भी व्यवस्था की गई है। जिन मदरसों की प्रबंध कमेटियों में मतभेद हैं, वहां पर आपसी सहमति से जिलाधिकारी नई प्रबंध समितियों का गठन करने में भी सहयोग कर सकते हैं।

दूसरी ओर **औरंगाबाद टाइम्स** (31 अगस्त) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन औवैसी ने इस फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार की इस्लाम दुश्मनी का प्रमाण बताया है और कहा है कि मुसलमानों को इसका हर स्तर पर विरोध करना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया है कि भारतोय संविधान की अनुच्छेद 30 के तहत इन मदरसों का संचालन किया जा रहा है और इनमें हस्तक्षेप करने का सरकार को काई अधिकार नहीं है। तंजीम उलेमा-ए-इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार 15 हजार मदरसों को बंद करना चाहती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 16 हजार मदरसों के कर्मचारियों को वेतन देने का जो दावा किया जाता है वह भी सरासर कागजी है। सिर्फ 550 मदरसों को सरकार अनुदान देती है। बाकी सभी मदरसे मुसलमानों के जकात और चंदे से चलते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह दावा सरासर गलत है कि इन मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। इन मदरसों में दीनी और आधुनिक दोनों तरह की शिक्षा देने की व्यवस्था है।

इंकलाब (12 सितंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों का सर्वे कराने का विरोध करते हुए कहा है कि यह सरकार का मदरसों को बदनाम करने की साजिश है। सरकार इस्लाम और मदरसों को देशवासियों की नजर में संदिग्ध बनाना चाहती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि सरकार का यह फैसला मुस्लिम दुश्मनी पर आधारित है। अगर सरकार ईमानदार है तो उसे सभी शिक्षा संस्थानों का सर्वेक्षण कराना चाहिए।

इंकलाब (7 सितंबर) के अनुसार जमीयत उलेमा हिंद का एक विशेष अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें मदरसों को बचाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि इस्लामिक मदरसे सांप्रदायिक तत्वों की आंखों क कांट हैं। जबकि मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर हर कीमत पर मदरसों की रक्षा करेंगे और किसी भी व्यक्ति को इस्लामिक मदरसों के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देंगे।

खास बात यह है कि इसके बाद देश भर के उर्दू समाचारपत्रों ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है।

मुंबई उर्दू न्यूज ने 3 सितंबर के अंक में एक संपादकीय प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, 'मस्जिदों और मदरसों पर सरकार की तलवार कब तक'। इस संपादकीय में यह दावा किया गया है कि आरएसएस का एजेंडा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। इस एजेंडे को लागू करने में मुसलमान सबसे बड़ी रूकावट हैं। इसलिए मुसलमानों, मदरसों ओर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों को अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हो जाना चाहिए।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 सितंबर) ने सुहैल अंजुम का एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि मदरसे 'दीन के किले' हैं, जिनको तबाह करने के लिए मोदी सरकार और

भाजपा ने साजिश रची है। इसी समाचारपत्र ने 13 सितंबर के अंक में अहमद नूर ऐनी का एक लेख प्रकाशित किया ह, जिसमें कहा गया है कि फिरकापरस्त ताकतें इस्लाम को समाप्त करना चाहती हैं और यह इसी सिलसिले में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

अवधनामा (16 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष टीम ने देश के दूसरे सबसे बड़े इस्लामिक शिक्षा संस्थान दारूल उलूम नदवा का दो घंटे तक सर्वे किया और कई दस्तावेजों की जांच की।

सालार (4 सितंबर) ने प्रो. अखतरुल वासे का एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि असम और उत्तर प्रदेश की सांप्रदायिक सरकारों ने मदरसों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है और इन दोनों राज्यों में अवैध निर्माण की आड़ लेकर मदरसों को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा पुराने कांग्रेसी हैं, इसलिए भाजपा में जाने के बाद वे अपनी वफादारी का प्रदर्शन करने के लिए मुस्लिम विरोधी अभियान को हवा दे रहे हैं।

सालार ने 8 सितंबर के अंक में मुश्ताक रफीकी का एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि मदरसे हमारी इस्लामिक पहचान का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, इसलिए हमें उनकी रक्षा के लिए हर कदम उठाना चाहिए।

सालार (9 नवंबर) ने इफ्तिखार अहमद बरकाती का एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें मुसलमानों से अपील की गई है कि वे एकजुट होकर मदरसों की रक्षा करने के लिए योजना बनाएं।

इत्तेमाद (8 सितंबर) के अनुसार यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने एक बयान में दावा किया है कि भाजपा शासित राज्य खुलकर इस्लाम दुश्मनी का प्रदर्शन कर रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश और असम में जो कुछ हो रहा है वह इसी का प्रमाण है।

इत्तेमाद (15 सितंबर) के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी ने देश की सेक्युलर पार्टियों से अनुरोध किया है कि वे इस्लाम आर मदरसों की रक्षा के लिए मैदान में आएं।

अवधनामा (14 सितंबर) के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड के मदरसों का भी सर्वे कराने का फैसला किया है, ताकि मदरसों के बारे में जो विभिन्न तरह की शिकायतें मिल रही हैं, उनके बारे में सच्चाई सामने आ सके।

रोजनामा सहारा (12 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री दानिश अंसारी ने इस बात का खंडन किया है कि राज्य सरकार ने किसी भी मदरसे को ध्वस्त किया है या उसका इरादा किसी मदरसे को बंद करने का है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ यह है कि मदरसों के शिक्षा स्तर में सुधार हो और मदरसों के संचालकों को राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। लखनऊ के नगर काजी मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ओवैसी के बयानों की निंदा की है और कहा है कि प्रत्येक मामले को राजनीतिक रंग देना सरासर गलत है।

रोजनामा सहारा ने 3 सितंबर के संपादकीय में कहा है कि असम और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, उसे खुली मुस्लिम दुश्मनी के अतिरिक्त कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। इन दोनों राज्यों में मुसलमानों के शिक्षा संस्थान सरकार के निशाने पर हैं। असम सरकार का रवैया मुस्लिम विरोधी है। यही हालत उत्तर प्रदेश में भी है। मुसलमानों के लिए योगी सरकार की नीयत किसी से ढंको छिपी नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ असम और उत्तर प्रदेश सरकारों का रवैया देश में सांप्रदायिकता और धार्मिक नफरत के वातावरण को हवा देगा।

ज्ञानवापी विवाद में नया मोड़

रोजनामा सहारा (13 सितंबर) के अनुसार वाराणसी जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी मामले में मुसलमानों की याचिका को खारिज कर दिया है और ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित शृंगार गौरी की पूजा की अनुमति से संबंधित याचिका को सुनवाई योग्य बताया है। जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने मुसलमानों के पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि इस केस की सुनवाई में संसद द्वारा 1991 में पारित पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) कानून बाधक नहीं है। मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि वे अदालत के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

गौरतलब है कि जिला न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इस याचिका की सुनवाई की थी। इससे पहले इस मुकदमे की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश सिविल डिविजन की अदालत में हो रही थी, जिसने ज्ञानवापी मस्जिद के विभिन्न हिस्सों का वीडियोग्राफी सर्वे कराने का निर्देश दिया था। वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने मस्जिद के हौज में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिस पर अदालत ने हिंदू पक्ष के दावे का स्वीकार करते हुए इस हौज को ढकने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुकदमे को सिविल न्यायाधीश की अदालत से जिला न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य भर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं।

इंकलाब (13 सितंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुसिलम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित जिला न्यायाधीश का प्रारंभिक फैसला निराशाजनक और दुखदाई है। उन्होंने कहा कि जो लोग देश में एकता नहीं चाहते वे इस तरह के मामलों को उछाल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिला अदालत ने 1991 में संसद द्वारा पारित कानून को नजरअंदाज करके शृंगार गौरी में पूजा अर्चना करने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। उन्होंने मांग की है कि संसद द्वारा पारित कानून को लागू किया जाए।

रोजनामा सहारा (14 सितंबर) के अनुसार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में जिला न्यायाधीश द्वारा दिया गया प्रारंभिक फैसला संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन है। इस मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहए।

इत्तेमाद (14 सितंबर) के अनुसार वाराणसी की मस्जिद अंजुमन इतेजामिया कमेटी ने जिला न्यायाधीश के फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में देश के वरिष्ठ वकीलों से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

इत्तेमाद (13 सितंबर) के अनुसार मजलिस के अध्यक्ष असदुद्दीन औवैसी ने कहा है कि इस फैसले से संसद द्वारा पारित कानून पर पानी फिर गया है। इस फैसले से दश में अनेक समस्याएं पैदा होंगी और विवादों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा। आखिर इस देश में मस्जिदों पर कब तक राजनीति होती रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सांप्रदायिक तत्व जानबूझकर विवादों को हवा दे रहे हैं ताकि वे आने वाले चुनाव में इसका राजनीतिक फायदा उठा सकें। उन्होंने कहा कि इस फैसले से भारत में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी ने देश के मुसलमानों से अपील की है कि वे इस फैसले के खिलाफ एकजुट होकर उच्च न्यायालय की शरण लें।

इंकलाब (15 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इससे ज्ञानवापी मस्जिद और देश की अन्य मस्जिदों के साथ जुड़े हुए विवादों में नया उबाल आने की संभावना है। समाचारपत्र ने कहा है कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) कानून जो 1991 में संसद ने पारित किया था। उसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को विभिन्न उपासना स्थलों की जैसी स्थिति थी, उसे वैसे ही यथावत बरकरार रखा जाएगा। अर्थात अगर किसी जगह पर मस्जिद है तो यह दावा स्वीकार नहीं होगा कि यहां पर कभी मंदिर था। इस तरह के कानून से जो राहत मिली थी, उस पर जिला न्यायाधीश के फैसले ने पानी फेर दिया है। अब सांप्रदायिक हिंदू संगठन बाबरी मस्जिद जैसे अनेक विवाद देश में खड़े करेंगे। इससे शांति व्यवस्था भंग होगी और देश का अमन-चैन खतरे में पड़ जाएगा। समाचारपत्र ने इस संबंध में मीडिया द्वारा उत्तेजनात्मक ढंग से खबरे परोसने की भो निंदा की है।

मुंबई उर्दू न्यूज (14 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जब संसद ने 1991 में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) कानून पारित किया था तो देश के मुसलमान इस बात से संतुष्ट हो गए थे कि भविष्य में अब बाबरी मस्जिद जैसा और विवाद नहीं उठाया जाएगा। मगर ज्ञानवापी मस्जिद के संबंध में जिला न्यायाधीश ने जो हिंदू श्रद्धालुओं की याचिका पर सुनवाई करने की अनुमति दी है, उससे मुसलमानों को जबर्दस्त झटका लगा है और उनमें हताशा फैल गई है। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थों के कारण मथुरा की शाही ईदगाह और दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम के विवाद को भी पुनः उछालने का प्रयास कर रहे हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि देश में सांप्रदायिक तत्व जिस तरह से नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं और इस संबंध में सरकारों की जो भूमिका रही है, उसके कारण मुसलमान यह विश्वास करने पर मजबूर हो गया है कि उसके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए साजिशें रची जा रही हैं।

इत्तेमाद (13 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित जिला न्यायाधीश के फैसले से बाबरी मस्जिद का जख्म फिर से हरा हो गया है। बाबरी मस्जिद के गम से मुसलमान अभी तक उबर नहीं पाए थे कि

अदालत का सहारा लेकर अन्य मस्जिदों को छोनने के प्रयास शुरू हो गए हैं। मुसलमान इस बात में विश्वास रखते हैं कि जिस स्थान पर एक बार मस्जिद का निर्माण हो जाए, वह कयामत तक मस्जिद ही बनी रहती है। इसके बावजूद मुसलमानों के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। अदालतों द्वारा मस्जिदों से संबंधित विवादित याचिकाएं जिस तरह से सुनवाई क लिए स्वीकार की जा रही हैं, वह गंभीर संकत है। इससे पूर्व भी यह भय फैलाया जा रहा था कि बाबरी मस्जिद के बाद भाजपा और आरएसएस अन्य मस्जिदों के मामले को भी उठाएंगे। यह भय अब सही साबित हो रहा है।

असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मामले का उल्लेख करते हुए कहा है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद हमसे छिन ली गई थी, उसी अंदाज में ज्ञानवापी मस्जिद को भी छोनने की कोशिश की जा रही है। संघ परिवार के पास ऐसी हजारों मस्जिदों की सूची है जिन पर वे मंदिर होने का दावा करते हैं। गौरतलब है कि 18 अगस्त 2021 को विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से राखी सिंह समेत पांच महिलाओं ने सिविल न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की अदालत में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें यह मांगी की गई थी कि उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में पूजा की अनुमति दी जाए। अब क्योंकि राजनीतिक तौर पर भाजपा के पास कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए जनता का ध्यान मूल समस्याओं से हटाने के लिए भगवा गिरोह ने अगले चुनाव के लिए एक नया चुनावी मुद्दा तलाश कर लिया है। ऐसी स्थिति में मुसलमानों को सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की आशा करनी चाहिए कि वह उनके साथ न्याय करेगी और संसद द्वारा पारित कानून को सख्ती से लागू करेगी।

सालार (13 सितंबर) ने अपने संपादकीय में ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित फैसले को एक गंभीर संकेत बताया है और कहा है कि इस तरह से सांप्रदायिक ताकतें मंदिरों और मस्जिदों के अनेक विवादों को छेडने की तैयारी कर रही हैं।

टिप्पणी : मुस्लिम इतिहासकार फिरिश्ता ने दावा किया है कि महमूद गजनवी ने भारत में सैकड़ों मंदिरों को तबाह किया और उनकी अकूत संपदा को लूटा तथा लाखों लोगों को गुलाम बनाकर ले गया। प्रत्येक मुस्लिम आक्रमणकारी ने मंदिरों को अपना निशाना बनाया, उन्हें लूटा, मूर्तियों को तोड़ा और अनेक मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया। सन मार्टिन ने अपनी पुस्तक में पुरातत्व प्रमाण प्रस्तुत करके यह सिद्ध किया है कि औरंगजेब ने इस देश में सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया और उन्हें मस्जिदों में बदला। इनमें विश्वविख्यात काशी विश्वनाथ का मंदिर भी शामिल था। 1664 में औरंगजेब ने इस मंदिर पर पहला हमला किया था, जिसे नागा साधुओं ने हजारों की संख्या में आत्मबलिदान देकर विफल कर दिया। 1669 में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ के पवित्र मंदिर को ध्वस्त करके उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। वाराणसी विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक है। काशी विश्वनाथ हिंदुओं के परम पवित्र बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक ह।

अनेक विदेशी इतिहासकारों ने इस बात की पुष्टि की है कि वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद के समीप प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरावशेष दबे हुए हैं। इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में सर्वप्रथम काशी विश्वनाथ के पवित्र मंदिर को ध्वस्त किया, मगर इस मंदिर का पुनर्निर्माण 13वीं शताब्दी में कुछ गुजराती व्यापारियों न किया, जिसे बाद में जौनपुर के शर्की सुलतानों ने पुन: मिट्टी में मिला दिया। 15वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी की फौज ने फिर काशी विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त किया, जिसका नवनिर्माण अकबर के शासनकाल में राजा

टोडरमल ने करवाया। इसी मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त किया था।

वर्तमान मंदिर जो पुराने मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है, उसका निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्या बाई होल्कर ने करवाया था। बताया जाता है कि उनके ससुर मलहार राव होल्कर ने 1742 में इस बात का प्रयास किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद को ध्वस्त करके वहां पर मंदिर का निर्माण किया जाए, मगर अवध के नवाबों के हस्तक्षेप के कारण यह संभव नहीं हो सका। अहिल्या बाई होल्कर ने वर्तमान मंदिर का निर्माण 1780 में करवाया था। यह मंदिर विश्वनाथ के मूल मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से कुछ दूरी पर स्थित है। इसी मंदिर को पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने 40 मन सोना दान दिया था जो आज भी इस मंदिर के शिखर की शोभा बढ़ा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून पारित

इंकलाब (14 अगस्त) के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने धर्मांतरण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है, जिसमें सामूहिक रूप से धर्मांतरण को अपराध करार दिया गया है और धर्मांतरण करने वालों को आरक्षण की सुविधाओं से वंचित करने का भी प्रावधान है। कांग्रेस और मार्क्सवादी पार्टी ने इस कानून का विरोध किया है। कांग्रेसी विधायक सुखविंदर सिंह ने कहा कि यह कानून संविधान के आरक्षण से संबंधित कानून के खिलाफ है, इसलिए इसमें संशोधन करने का अधिकार राज्य विधान सभा को नहीं है। उन्होंने मांग की कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। मार्क्सवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि यह मामला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए विधान सभा इस संबंध में कानून पारित नहीं कर सकती। जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पुराने कानून में संशोधन किया गया है, ताकि धोखा, जबरन, प्रलोभन या विवाह के नाम पर धोखा देकर धर्मांतरण न किया जा सके। नए कानून में जबरन धर्मांतरण करवाने के लिए सजा की अवधि सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दी

गई है और यह भी कहा गया है कि इस कानून के तहत दर्ज होने वाले किसी भी अपराध की जांच सब इंस्पेक्टर से निचले दर्जे का कोई पुलिस अधिकारी नहीं करेगा और इससे संबंधित मुकदमे की सुनवाई सत्र न्यायालय में होगी। इस कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं धर्मांतरण करना चाहता है या करवाता है तो उसे जिलाधिकारी को एक महीने पूर्व नोटिस देना होगा कि वह अपनी इच्छा से धर्मांतरण कर या करा रहा है। मगर जो लोग धर्मांतरण करके पुराने धर्म में वापस आएंगे उन पर यह कानून लागू नहीं होगा।

इस कानून पर टिप्पणी करते हुए **मुंबई उर्दू न्यूज** ने 2 सितंबर के संपादकीय में कहा है कि गुजरात के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में भी इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं, इसलिए बहुसंख्यक समाज के वोटों को बटोरने के लिए सत्तारूढ़ दल ने यह कानून लाया है। इस कानून के तहत एक साथ दो या इससे अधिक व्यक्ति धर्मांतरण नहीं कर सकते। जबरन धर्मांतरण करवाने की सजा सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दी गई है। इस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का ढोल पीटने वाली सरकार ने लोकतंत्र में धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि पहले पूरा का पूरा कबीला धर्मांतरण कर सकता था। इस कानून में जनजातियों को दिए गए आरक्षण के अधिकार पर भी जो रोक लगाई गई है, वह असंवैधानिक है। क्योंकि उसमें संशोधन करने का अधिकार राज्य विधान सभा को नहीं है। हालांकि अपने पसंद का धर्म अपनाना इंसानों का बुनियादी अधिकार है। जिसकी अनुमति दीन इस्लाम में दी गई है।

टिप्पणी: देश के 20 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में प्रलोभन, जबरन या धोखे से धर्मांतरण करने पर रोक लगाई जा चुकी है। सबसे पहले यह कानून 1967 में उड़ीसा में पारित किया गया था, जब वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। इस समय जिन राज्यों में धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड आदि शामिल हैं। इन राज्यों में जबरन या प्रलोभन धर्मांतरण करवाने पर 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक कैद की व्यवस्था की गई है। जबकि जुर्माने की धनराशि 20 हजार से लेकर एक लाख तक की गई है।

कुख्यात आतंकी को महिमामंडित करने की जांच का निर्देश

औरंगाबाद टाइम्स (9 सितंबर) के अनुसार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने मुंबई बम धमाकों के आरोपी याकूब मेमन की कब्र को मजार में बदलने और उसे फूलों और रोशनी से सजाने के मामले की जांच करवाने की घोषणा की है। समाचारपत्र के अनुसार भाजपा नेता राम कदम ने इस संदर्भ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि शिवसेना के शासनकाल में मुंबई धमाकों के मुख्य आरोपी याकूब मेमन की मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान स्थित कब्र को शानदार मजार में बदला गया है और उस पर संगमरमर लगाया गया है। इसके साथ ही उसे फूलों और रोशनी से भी सजाया गया है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने शिवसेना और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना निशाना बनाया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (10 सितंबर) के अनुसार याकूब मेमन को 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाके की आर्थिक सहायता करने के आरोप

में 2015 में नागपुर की केंद्रीय जेल में फांसी पर लटकाया गया था और उसके शव को मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। समाचारपत्र के अनुसार याकूब मेमन मुंबई बम धमाके के मुख्य आरोपी टाइगर मेमन का सगा भाई था। इन धमाकों में 267 लोग मारे गए और 575 लोग घायल हो गए थे। 1994 में पुलिस ने याकूब मेमन को गिरफ्तार किया था और अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था।

अवधनामा (9 सितंबर) के अनुसार 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाके के आरोपी याकूब मेमन की कब्र को मकबरे का रूप देने और उसे फूलों और बल्बों से सजाए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है। पुलिस ने याकूब मेमन के कब्र के आसपास लगाए गए एलईडी के सजावटी लाइटों को हटा दिया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कब्र को मजार में बदलने की भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस संदर्भ में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, मुंबई नगरपालिका और चैरिटी कमिश्नर से इस संदर्भ में रिपोर्ट मांगी है। याकूब मेमन की कब्र के विवाद के चर्चा में आने पर बड़ा कब्रिस्तान की प्रबंध समिति ने इस बात का खंडन किया है कि उसने याकूब मेमन की कब्र को पक्का करने, उस पर टाइलें लगाने या उस पर नाम का शिलालेख लगाने के बारे में कोई अनुमति दी थी। कब्रिस्तान के ट्रस्टी शोएब खतीब ने कहा है कि यह वीडियो पुराना है और इसका याकूब मेमन की कब्र से कोई संबंध नहीं है। शब-ए-बारात के अवसर पर कब्रिस्तानों को सजाने की पुरानी परंपरा है। यह संभवत: उसी दौरान का वीडियो है, लेकिन किसी विशेष कब्र को सजाने या उस पर रोशनी लगाने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। कब्र पक्की नहीं बल्कि कच्ची है। उसकी मिट्टी रास्ते में न आए, इसलिए इन सभी कच्ची कब्रों की हदबंदी की गई है। याकूब की कब्र पर कोई शिलालेख नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई उसे महिमामंडित करे। अदालत के निर्देश पर ही इस कब्रिस्तान में उसके शव को दफन किया गया है। उसकी कब्र को सजाने या पक्का करने की खबर सरासर गलत है। इस कब्र के अतिरिक्त वहां पर 17 अन्य कब्रें हैं। उन कब्रों पर सात वर्ष पहले टाइलें लगाई गई थीं। मेमन की कब्र के नजदीक एक पेड़ गिर गया था। इसके बाद उसके परिवारजनां ने कब्र की मरम्मत करने की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था।

बदायूं की जामा मस्जिद के शिव मंदिर होने का दावा

इंकलाब (4 सितंबर) के अनुसार अब बदायूं की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को भगवा परिवार शिव मंदिर बता रहा है। उन्होंने इस संदर्भ में अदालत में एक मुकदमा भी दायर किया है। अदालत ने इस याचिका को न केवल स्वीकार किया है बल्कि मस्जिद की प्रबंध समिति को नोटिस भी जारी कर दिया है, जिस पर आपत्ति करते हुए मस्जिद की प्रबंध समिति ने कहा है कि इस याचिका का कोई आधार नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। यह याचिका अखिल भारतोय हिंदू महासभा ने सिविल न्यायाधीश सीनियर डिविजन की अदालत में दायर की है। याचिका दायर करने वालों में संगठन के राज्य संयोजक मुकेश पटेल, एडवोकेट अरविंद परमार, ज्ञान प्रकाश और डॉ. अनुराग आदि शामिल हैं। इसमें भगवान शिव को पक्षकार बनाया गया है और यह दावा किया गया है कि यह मस्जिद नीलकंठ महादेव मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई थी। मस्जिद कमेटी के वकील इसरार अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि अदालत ने जो नोटिस दिया था उसका जवाब दे दिया गया है।

गौरतलब है कि इस जामा मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के द्वितीय शासक इल्तुतमिश ने उस समय करवाया था जब वह बदायूं में सूबेदार के तौर पर नियुक्त था। यह देश की तीसरी सबसे पुरानी मस्जिद है और यह संरक्षित स्मारक भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश की सातवीं सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें 25 हजार नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद में आठ गुंबद हैं।

अवधनामा (4 सितंबर) के अनुसार मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि यह मस्जिद 840 वर्ष पुरानी है। सिविल न्यायाधीश के सामने जो मुकदमा पेश किया गया है, उसमें हिंदू महासभा के राज्य संयोजक मुकेश पटेल ने कई प्रमाण पेश किए हैं, जिनमें इस मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर बताया गया है। याचिका

में कहा गया है कि यह महिपाल का किला था और उसी ने नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में अनेक ऐतिहासिक पुस्तकों में प्रकाशित प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। एक अन्य वकील वेद प्रकाश साहू ने कहा कि इस मस्जिद में अनेक अवशेष ऐसे हैं, जिससे इसमें मंदिर होने की पुष्टि होती है। दूसरी ओर मस्जिद कमेटी के वकील इसरार अहमद ने कहा है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यहां कभी मंदिर था। सरकारी गजट में भी किसी मंदिर होने का कोई उल्लेख नहीं है और न ही इस बात का उल्लेख है कि इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता उमेश शर्मा ने यह दावा किया है कि इस संबंध में उनके पास ठोस सबूत हैं, जिसे अदालत में पेश किया जाएगा।

इत्तेमाद (12 सितंबर) ने अपने संपादकीय में इस बात की आलोचना की है कि देश में मुसलमानों की मस्जिदों को मंदिर साबित करने के लिए एक जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। इससे पूर्व भी भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखकर उनस 1991 में संसद द्वारा पारित पूजा स्थल कानून में संशोधन करने की मांग की थी। राम जन्मभूमि विवाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस मामले को छोड़कर किसी अन्य मंदिर-मस्जिद विवाद को अदालत में उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मगर इसके बावजूद मथुरा में शाही मस्जिद के विवाद को उठाया गया। अब इस कानून को ही रद्द करने की मांग हो रही है। हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद को भी अदालत ने सुनने की अनुमति दे दी है जो कि इस कानून का सरासर उल्लंघन है। इससे पूर्व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेन्द्र गिरी की अध्यक्षता में प्रयागराज में एक अधिवेशन में इस बात की मांग की गई थी कि राम जन्मभूमि आंदोलन के तर्ज पर मथुरा की ईदगाह और काशी की ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जे के लिए देशव्यापी आंदोलन चलाया जाए। इससे साफ है कि यह सब कुछ एक तयशुदा नीति के तहत हो रहा है। इसलिए मुसलमानों को चौकन्ना रहने की जरूरत है।

काबुल स्थित रूसी दूतावास के समीप धमाका

इंकलाब (7 सितंबर) के अनुसार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रूसी दूतावास के बाहर हुए धमाके में कम-से-कम 20 लोग मारे गए, जिनमें दो रूसी राजनयिक भी शामिल हैं। जबकि 11 लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर ने धमाके के साथ स्वयं को उड़ा लिया। सेना ने सारे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तानी समाचारपत्र 'डॉन' का दावा ह कि आक्रमणकारी ने जैसे ही दूतावास में घुसने का प्रयास किया सुरक्षाकमियों ने उसे गोली से उड़ा दिया। मगर उसके शरीर में बंधे हुए बमों के विस्फोट होने के कारण लोग मारे गए। दूतावास का एक सुरक्षाकर्मी भी जख्मी हुआ है।

इंकलाब (8 सितंबर) के अनुसार आईएसआईएस के प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि यह हमला उसके ही एक कैडर ने किया था और रूसियों के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि तालिबान विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। इससे पूर्व 3 सितंबर को अफगानिस्तान के ही सूबा हेरात की प्रमुख मस्जिद के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें तालिबान के एक नेता मौलवी मुजीबुर रहमान अंसारी अपने रक्षकों और नमाजियों के साथ मारे गए। सरकारी सूत्रां के अनुसार इस धमाके में कम-से-कम 20 लोग मारे गए। हेरात के गवर्नर ने तालिबान के एक प्रमुख नेता मुजीबुर रहमान अंसारी के मारे जाने की पुष्टि की है और कहा है कि इस्लाम के दुश्मन इस्लाम के विद्वानों का सफाया कर रहे हैं।

गौरतलब है कि दो महीने पूर्व मुजीबुर रहमान अंसारी ने एक फतवा जारी किया था, जिसमें तालिबान को यह निर्देश दिया था कि अफगानिस्तान में शरई कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए और जो कोई सरकार का विरोध करता है उसका सिर तन से अलग कर दिया जाए। इससे पूर्व तालिबान के एक अन्य नेता रहीमुल्ला हक्कानी भी अपने मदरसे में मारे गए थे। बताया जाता है कि इन धमाकां के पीछे आईएसआईएस का हाथ है। आईएसआईएस ने इन हमलों के पीछे भी अपने हाथ होने की पुष्टि की है।

अमेरिका ताइवान को बेचेगा आधुनिक अस्त्र–शस्त्र

अमेरिका ने ताइवान को एक अरब डॉलर से भी ज्यादा कीमत के हथियार बेचने की घोषणा करके कम्युनिस्ट चीन को नाराज कर दिया है। अमेरिका द्वारा ताइवान को जो नए रक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं उनमें एंटी-शिप और एंटी-एयर मिसाइल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उसे आधुनिकतम रडार सिस्टम भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि वह किसी भी हवाई हमले का पता लगाकर उसे नष्ट कर सके। अमेरिका के इस फैसले का चीन ने विरोध किया है और यह मांग की है कि इस समझौते को तुरंत रद्द किया जाए। वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। चीन ने कहा है कि ताइवान उसके देश का एक अंग है और वह ताकत का इस्तेमाल करके भी उस पर कब्जा करेगा। गत महीने जब अमेरिका के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल ताइवान दौरे पर आया था तो चीन ने ताइवान के चारों तरफ सैनिक अभ्यास किए थे।

अमरिकी मीडिया के अनुसार ताइवान को जो अस्त्र-शस्त्र दिए जा रहे हैं, उनमें 65 करोड़ डॉलर का रडार वार्निंग सिस्टम और 35 करोड़ डॉलर के हार्पून मिसाइल शामिल हैं, जिनकी सहायता से जलयानों को डुबोया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दस करोड़ डॉलर के साइडविंडर मिसाइल भी ताइवान को सप्लाई किए जा रह हैं। ये मिसाइल जमीन से वायु में और वायु से वायु में मार कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ताइवान की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि उसे सैन्य दृष्टि से मजबूत बनाया जाए।

इंकलाब (9 सितंबर) के एक समाचार के अनुसार अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को एफ-16 विमानों के पुर्जे सप्लाई करने का फैसला किया है। ये पुर्जे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं। इनकी कीमत 45 करोड़ डॉलर बताई जाती है। अमेरिका ने यह उपकरण पाकिस्तान की युद्ध क्षमता में वृद्धि के लिए सप्लाई करने का फैसला किया है।

अलकायदा के नए प्रमुख पर मुल्ला याकूब और हक्कानी ग्रुप में मतभेद

हमारा समाज (9 सितंबर) के अनुसार अमेरिका द्वारा अलकायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में शामिल दो गुटों के आपसी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया है और कहा है कि यह मंसूबा अमेरिका ने पाकिस्तान की सहायता से तैयार किया था। दूसरी

ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह आरोप बेबुनियाद है और इनके कारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों में तनाव आ सकता है। मुल्ला याकूब के इस बयान के बाद पाकिस्तान समर्थक हक्कानी ग्रुप के साथ मुल्ला याकूब गुट का तनाव भी खुलकर सामने आ गया है।

हाल ही में अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से निष्कासन की जो वर्षगांठ मनाई गई थी, उसमें अफगानिस्तान के गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने हिस्सा नहीं लिया था। हक्कानी ग्रुप का दावा है कि मुल्ला याकूब गुट का अफगानिस्तान के पुराने शासकों से गुप्त गठजोड़ है। यही कारण है कि पुरानी सरकार के 80 प्रतिशत कर्मचारियों को तालिबान ने नौकरी दे दी है। अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर गुट ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मगर अब उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

हमारा समाज (6 सितंबर) के अनुसार अलकायदा के निकटवर्ती सूत्रों के अनुसार अलकायदा का नया प्रमुख मोहम्मद सलाह अल-दीन जैदान उर्फ सैफ अल-आदिल को बनाया जा सकता है। इसके बारे में गुप्तचर एजेंसियों के पास कोई विशेष जानकारी नहीं है। मगर उसकी उम्र 60 वर्ष बताई जाती है और उसकी गिरफ्तारी के लिए अमेरिकी एजेंसी एफबीआई ने एक करोड़ डॉलर ईनाम की घोषणा कर रखी है। इस आतंकवादी की गतिविधियां अब तक अमेरिका और मिस्र तक ही सीमित थीं। सूडान, सोमालिया और यमन में उसने अलकायदा की नींव रखी थी और उसकी शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाई थी।

आंग सान सू की को चुनाव में धांधली के आरोप में तीन वर्ष की कैद

मुंबई उर्दू न्यूज (3 सितंबर) के अनुसार म्यांमार की एक सैनिक अदालत ने म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की को चुनाव में धांधलो करने के आरोप में तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। सू की के वकील ने बीबीसी को बताया कि अब तक 11 मुकदमों में उन्हें 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई जा चुकी है और अभी कई मुकदमे बाकी हैं। 77 वर्षीय नोबल पुरस्कार प्राप्त सू की गत कई वर्षों

से अपने घर में ही नजरबंद हैं। मगर अब क्योंकि नए मुकदमे में अदालत ने उन्हें सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, इसलिए उन्हें किसी जेल में भेजना होगा। सू की के खिलाफ सभी मुकदमों की सुनवाई बंद कमरों में हो रही है, जिसमें मीडिया और आम जनता को जाने की अनुमति नहीं है। सेना ने उनके वकीलों के मीडिया से मिलने और उन्हें कोई

समाचार उपलब्ध कराने पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। गौरतलब ह कि अदालत ने सू की पर यह आरोप लगाया है कि नवंबर 2020 के आम चुनाव में भारी धांधली के कारण उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी सत्ता में आई थी। मगर सेना ने इस फैसले को मानने से इंकार कर दिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। तब से म्यांमार के सभी नेता जलों में बंद हैं।

तालिबान कमांडर के खिलाफ शिकायत करने वाली महिला गिरफ्तार

मुंबई उर्दू न्यूज (3 सितंबर) के अनुसार अफगानिस्तान में एक तालिबान कमांडर पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला इलाहा दिलवाजिरी को सेना ने उस समय हिरासत में ले लिया जब वह भागकर पाकिस्तान जाने का प्रयास कर रही थी। उसे एक सीमावर्ती चौकी पर गिरफ्तार किया गया। वहां से उसे काबुल भेजा गया। यहां पर उसके खिलाफ बंद अदालत में मुकदमा चलाए जाने की संभावना है। कुछ दिन पूर्व अफगानिस्तान की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें उसने तालिबान के एक उच्चाधिकारी पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। इस वीडियो में उसने गृह मंत्रालय के प्रवक्ता कारी मोहम्मद खोस्ती पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसका बलात्कार किया है। इसके बाद तालिबान ने उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया था। जब वह जान बचाने के लिए भागकर पाकिस्तान जा रही थी तो उसे सीमा पर हिरासत में ले लिया गया। यह महिला पिछली सरकार के एक जनरल की बेटी और पेशे से डॉक्टर बताई जा रही है।

यमन में हूती विद्रोहियों और अलकायदा के बीच युद्ध

इंकलाब (15 सितंबर) के अनुसार यमन के प्रमुख नगर अदन में अलकायदा और ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के बीच हुए युद्ध में कम-से-कम 26 लोग मारे गए। यह युद्ध उस समय शुरू हुआ जब अलकायदा ने यमन के दक्षिणी नगर अबयान में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक ठिकाने पर हमला किया था। गौरतलब है कि अलकायदा सुन्नी संगठन है जबकि हूती विद्रोही शिया हैं और उन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है। इस युद्ध के छिड़ने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गृहयुद्ध के शिकार यमन में युद्धरत विभिन्न गुटों के बीच समझौता करवाने का जो प्रयास चल रहा था उसे गहरा धक्का लगा है।

गौरतलब है कि सितंबर 2014 से यमन में गृहयुद्ध जारी है। ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने राजधानी साना पर कब्जा करके सऊदी अरब समर्थक सरकार को वहां से फरार होने पर मजबूर कर दिया है और यमन के राष्ट्रपति ने सउदी अरब में शरण ले रखी है। यमन में अलकायदा और आईएसआईएस के बीच भी युद्ध शुरू हो गया है। ये इस बात की मांग कर रहे हैं कि यमन का पुनर्विभाजन करके दक्षिण यमन को उससे अलग कर दिया जाए। गौरतलब है कि 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास से उत्तरी और दक्षिणी यमन में एकता स्थापित हुई थी। मगर इसके बाद यहां पर गृहयुद्ध छिड़ गया, जिसके कारण अब तक कम-से-कम दो लाख लोग मारे जा चुके हैं और 20 लाख लोग बेघर हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांति स्थापना के सभी प्रयास विफल हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सत्ता संभालने के बाद इस बात की घोषणा की थी कि व यमन में सउदी अरब के समर्थकों को अस्त्र-शस्त्र सप्लाई नहीं करेंगे, मगर बाद में उनकी नीति में परिवर्तन आया और ईरान के बढ़ते हुए प्रभाव पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने अरब जगत के अनेक देशों को सैनिक सामग्री की सप्लाई जारी करने का निर्णय किया।

अल्बानिया से ईरानी राजदूत निष्कासित

इंकलाब (9 सितंबर) के अनुसार नाटो के देश अल्बानिया ने जुलाई महीने में हुए साइबर हमलों के लिए ईरान को दोषी ठहराया है और ईरान से सभी तरह के संबंध विच्छेद करने की घोषणा की है। इसके साथ ही ईरानी दूतावास के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर अल्बानिया से चले जाने का निर्देश दिया है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदि रामा ने एक वीडियो बयान में कहा है कि उनकी सरकार ने ईरान के साथ सभी तरह के संबंधों को तोड़ने का फैसला किया है। क्योंकि ईरान ने देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था को हक करने और इंटरनेट व्यवस्था को ठप करने का प्रयास किया था, ताकि देश में अस्थिरता और अशांति फैलाई जा सके।

अल्बानिया के एक सरकारी प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि उनके देश के पास इस बात के ठोस सबूत हैं कि ईरान ने साइबर हमलों द्वारा उनकी संचार व्यवस्था को हैक करने की कोशिश की थी। अमेरिका ने ईरान द्वारा अल्बानिया पर किए गए साइबर हमलों की निंदा की है और कहा है कि अमेरिका इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। अमेरिका ने भी इस बात की घोषणा की है कि अभी तक उसने जो जांच की है, उससे इस बात की पुष्टि होती है कि ईरान ने अल्बानिया पर साइबर हमले किए थे, ताकि अल्बानिया को नाटो से अलग किया जा सके। दूसरी ओर, ईरान ने अल्बानिया द्वारा ईरान के साथ संबंध विच्छेद करने की निंदा की है और आरोप लगाया है कि अल्बानिया अमेरिका के दबाव पर उसके खिलाफ साइबर हमलों का झूठा आरोप लगा रहा है। ईरानी प्रवक्ता ने कहा कि अल्बानिया ने यह आरोप अमेरिका के दबाव पर लगाया है।

ईरान में दो समलैंगिक महिलाओं को फांसी

इंकलाब (7 सितंबर) के अनुसार ईरान की एक अदालत ने दो समलैंगिक महिलाओं को मौत की सजा सुनाई है। ये महिलाएं काफी समय से हिजाब और महिलाओं के अधिकारों के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चला रही थीं। विदेशी मीडिया एजेंसियों के अनुसार जिन महिलाओं को मौत की सजा सुनाई गई है, उनमें 31 वर्षीय जहरा सदिगी हमीदानी और 24 वर्षीय इल्हाम चुबदार शामिल हैं। ईरान सरकार ने इन दोनों महिलाओं को मौत की सजा दिए जाने की पुष्टि की है। मगर कहा है कि इन दोनों महिलाओं को मानव तस्करी के आरोप में लिप्त होने के कारण यह सजा दी गई है। ये महिलाएं ईरानी किशोरियों की तस्करी करके उन्हें विदेशों में भेजती थीं। गौरतलब है कि जहरा को अक्टूबर 2021 में उस समय सीमा पर गिरफ्तार किया गया था जब वह तुर्की भागने का प्रयास कर

रही थी। बाद में उससे की गई पूछताछ के बाद 24 वर्षीय इल्हाम को भी हिरासत में ले लिया गया। जहरा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उसने समलैंगिक होने की पुष्टि की है।

ईरानी राष्ट्रपति के अमेरिका प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग

मुंबई उर्दू न्यूज (11 सितंबर) के अनुसार अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से मांग की है कि वे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके साथियों को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भाग लेने के लिए एंट्री वीजा देने से इंकार कर दें। इन सांसदों का यह आरोप है कि ईरानी राष्ट्रपति आतंकवाद को बढ़ावा द रहे हैं और वे मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब तक 52 सांसद इस मांग का समर्थन कर चुके हैं।

इन सांसदों का कहना है कि ईरान सरकार ने 1988 के बाद हजारों महिलाओं और बच्चों सहित राजनीतिक बंदियों को सामूहिक रूप से फांसी पर लटकाया है। जिन लोगों को फांसी पर लटकाया गया है वे अधिकांश सरकार के राजनीतिक विरोधी थे। रईसी ने उन्हें मौत की सजा उस समय दी जब वे ईरान के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इसलिए उन्हें 'डेथ कमीशन' के प्रमुख की भी संज्ञा दी गई थी। पत्र में यह भी कहा गया है कि इन ईरानी अधिकारियों के हाथ अनेक अमेरिकियों की हत्याओं में भी हैं। हाल ही में ईरान के गुप्तचर विभाग के एक अधिकारी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन की हत्या की साजिश भी रची थी। इसलिए इन ईरानियों को अमेरिका में आने की अनुमति न दी जाए।

ईरानी हैकरों की गिरफ्तारी के लिए एक करोड़ डॉलर ईनाम की घोषणा

मुंबई उर्दू न्यूज (16 सितंबर) के अनुसार अमेरिकी न्याय विभाग ने यूरोप, अमेरिका और इजरायली संस्थान को ब्लैकमेल करने का आरोप तीन ईरानी हैकरों पर लगाया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों के अस्पताल पर साइबर हमले किए। इन हैकरों ने कंप्यूटर हैकिंग की कामयाब वारदात के बाद निशाना बनने वाले संस्थानों से लाखों डॉलर की भी मांग की थी। अमेरिकी न्याय विभाग ने इन तीनों की तस्वीरें जारी की हैं और इनकी गिरफ्तारी में सहायता करने वालों को एक करोड़ डॉलर ईनाम देने की घोषणा की है। इन ईरानी साइबर हैकरों में 34 वर्षीय मंसूर अहमदी, 45 अहमद खातिबी और 30 वर्षीय अमीर हुसैन शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका किसी भी साइबर हमले और अपने आधारभूत संरचना में हस्तक्षेप को रोकने की पूरी शक्ति रखता है। अमेरिकी गुप्तचर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारो ने कहा कि इस बात की संभावना है कि ये तीनों आरोपी ईरान में हैं और इनका संबंध ईरान सरकार के गुप्तचर संगठनों से है। ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन, इजरायल और रूस पर साइबर हमलों का यह सिलसिला अक्टूबर 2020 में शुरू किया था।

हाजी अली दरगाह में तिरंगा लहराने की योजना

सियासत (11 सितंबर) के अनुसार मुंबई में अरब सागर में स्थित हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी दरगाह में दुनिया का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराने की योजना बना रहे हैं। इस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज को लहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आमंत्रित किए जाने की संभावना है। दरगाह कमेटी के सचिव सुहैल खंडवानी ने बताया कि दुनिया में सबसे ऊंचा झंडा लगाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस समय सबसे ऊंचा झंडा मिस्र में लहराया जाता है, जिसके पोल की उंचाई 201 मीटर है। इससे पूर्व दुनिया में सबसे उंचा झंडा जेद्दा में लहराया जाता था। जिसकी उंचाई 171 मीटर थी। खंडवानी ने कहा कि जब देवेन्द्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की थी कि दुनिया का सबसे ऊंचा राष्ट्रोय ध्वज भारत में लहराया जाना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में यह सुझाव भी दिया था कि यह ध्वज हाजी अली की पवित्र दरगाह में लहराया जा सकता है।

उर्दू में साइनबोर्ड लिखने का आदेश देने वाली अधिकारी निलंबित

अखबार-ए-मशरिक (16 सितंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्पतालों के नाम उर्दू में लिखने का आदेश देने वाली सहायक निदेशक डॉ. तबस्सुम खान को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के कारण सेवा से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन आदेश के अनुसार तबस्सुम खान ने सरकारी आदेश जारी करने के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया था और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बिना ही सरकारी अस्पतालों में साईनबोर्ड और नेमप्लेट आदि उर्दू में लिखे जाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया था।

तुर्की में सीरियाई शरणार्थियों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि

इत्तेमाद (8 सितंबर) के अनुसार अनुसार तुर्की में शरण पाने वाले सीरियाई शरणार्थियों के खिलाफ नफरत की घटनाओं में भारी वृद्धि हो रही है। हाल ही में तुर्की में कम-से-कम चार सीरियाई शरणार्थियों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। गौरतलब है कि तुर्की में 36 लाख सीरियाई शरणार्थी हैं। स्थानीय लोग बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के लिए इन शरणार्थियों को दोषी ठहरा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ जनभावनाएं दिन-प्रतिदिन उत्तेजक हो रही हैं। इससे दो महीने पूर्व दो सीरियाई शरणार्थियों को इस्तांबुल में तुर्कों की उत्तेजक भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया था। इससे पूर्व एक 70 वर्षीय सीरियाई महिला से मारपीट की गई। तुर्की में अगले वर्ष आम चुनाव होने वाले हैं। इनमें विपक्षी दल सीरियाई शरणार्थियों को तुर्की से निष्कासित करने की मांग को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

तेलंगाना में मस्जिद ध्वस्त

सियासत (31 अगस्त) ने आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी जानबूझकर मुसलमानों को सत्तारूढ तेलंगाना राष्ट्र समिति से नाराज करने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए सड़कों के विस्तारीकरण और अवैध भवन करार देकर हाल ही में चार मस्जिदों को ध्वस्त किया गया है। इनमें महबूब नगर की मस्जिद उमर उल्लेखनीय है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मसोउल्लाह खान ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मस्जिद के ध्वस्त किए जाने की उच्चस्तरीय जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि हैदराबाद में भी दो मस्जिदों को जानबूझकर तोड़ा गया है। इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं।

यूरोप में मुस्लिम विरोधी घटनाओं में वृद्धि

इत्तेमाद (8 सितंबर) के अनुसार तुर्की के विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा है कि फ्रांसीसी सरकार जानबूझकर फ्रांस में मस्जिदों और इस्लामिक संगठनों को निशाना बना रही है। इससे विश्व भर के मुसलमानों में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि इस्लाम विरोधी तत्व जानबूझकर यूरोप में इस्लाम के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, ताकि फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क आदि देशों में रहने वाले मुसलमानों को निशाना बनाया जा सके। हाल ही में फ्रांस सरकार ने एक दर्जन मस्जिदों को बंद करने का जो फैसला किया है वह निंदनीय है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

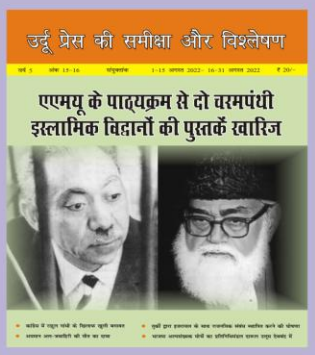

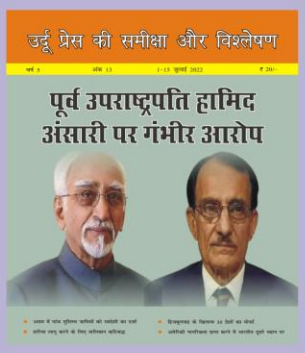

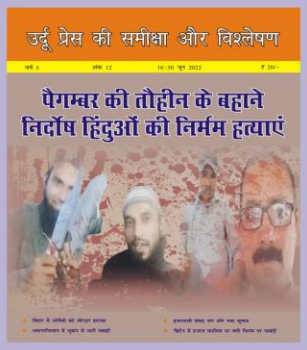

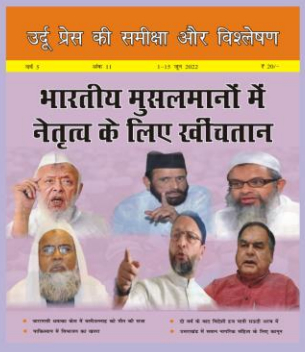

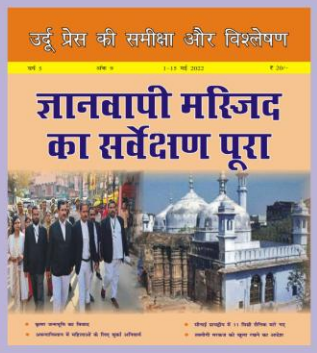

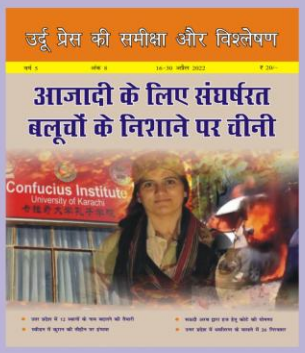

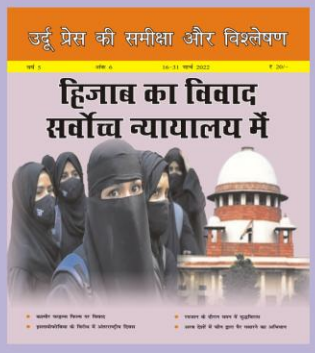

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in